30/1/23

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस अखबार में साया हुए समय बीत चुका है। 16.4.22 को साया करवाए गए। अप्रार्थीगण के विरुद्ध लम्बे समय तक उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 5/12/22 को हो चुकी है। प्रार्थी वकील की एक-पक्षीय बहस सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। पत्रावली में संलग्न राजस्व जमाबंदी संवत 2075-2078 ग्राम कोसाणा के अनुसार ख.स. 1273/1, 1279, 1280 के प्रार्थीगण रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। प्रत्येक काश्तकार का

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

पत्रावल
लकार

ारीख ुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह अधिकार है कि वह अपने खेत की सीमाओं का ज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवा सकता है। अगर कब्जे को लेकर कोई विवाद हो तो प्रार्थी / अप्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कोसाना के खसरा संख्या 1273/1, 1280, 1279 का सीमांकन कर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करें। प्रार्थीगण नियमानुसार सीमांकन फीस अदा करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)